ईमेल आई0डी0– info@ukmc.in
दूरभाष / फैक्स नं0 0135–2781201

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

डॉ0 आर0के0जैन, अध्यक्ष उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर स्थित नगरपालिका सभागार में "जन–जानकारी अभियान" कार्यक्रम एवं समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त–

दिनांक 27.10.2021, को श्रीनगर स्थित नगरपालिका सभागार में जन–जानकारी अभियान कार्यक्रम एवं समीक्षा बैठक में उपस्थित महानुभाव एवं अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति का विवरणः–

1. डॉ0 आर.के.जैन, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसख्ंयक आयोग, देहरादून।
2. श्रीमती नगमा तौफीक, जिला अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा, भाजपा, पौड़ी गढ़वाल।
3. श्री मोहित सेमवाल, महामंत्री, अल्पसंख्यक मोर्चा, भाजपा।
4. श्री अमजद, महामंत्री, अल्पसंख्यक मोर्चा, भाजपा।
5. श्री अजयवीर सिंह, उपजिलाधिकारी, श्रीनगर।
6. श्री हरिओम राज चौहान, एस.एच.ओ. श्रीनगर।
7. तहसीलदार, श्रीनगर।
8. श्री विनोद कुमार उनियाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
9. श्री जयदीप भारद्वाज, सहा0 प्रबन्धक, समाज कल्याण विभाग, पौड़ी गढ़वाल।
10. श्री प्रेमकुमार, सहा0 अभि0उ0पे0नि0, श्रीनगर।
11. डॉ0 रजनीश पाण्डेय, पशु चिकित्साधिकारी, श्रीनगर।
12. श्री यतेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता, विद्युत विभाग, श्रीनगर।
13. श्रीमती यदु सेमवाल, बाल विकास परि0।
14. श्री शशि कुमार, स्वास्थ्य निरीक्षक न.पा.।
15. श्री जे.एस.रावत, सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
16. श्रीमती शमा प्रवीन, वैयक्तिक सहायक, अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।

सर्वप्रथम मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त महानुभाव, अधिकारियों व कर्मचारियों का का स्वागत किया गया। मा0 आयोग स्तर से उक्त कार्यक्रम एवं समीक्षा बैठक की सूचना समय से जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को उपलब्ध करा दी गयी थी, किन्तु उसके उपरान्त भी समीक्षा बैठक में समस्त जनपदीय विभागीय अधिकारी उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण विभागीय योजनाओं की समीक्षा नहीं की जा सकी। इस हेतु मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा अत्यन्त खेद व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल से अपेक्षा की गयी कि बैठक में अनुपस्थित जनपदीय विभागीय अधिकारियों का अपने स्तर से स्पष्टीकरण लेते हुए नियमानुसार चेतावली करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनर्रावृत्ति न होने पावे तथा कृत कार्यवाही से मा0 आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

(कार्यवाही जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल)

तत्पश्चात् मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक / कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों / अधिकारियों व कर्मचारियों को अल्पसंख्यकों के हितों एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद–29, 30 में उल्लिखित अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की जानकारी दी गयी तथा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम–2002 में निहित प्राविधानों / कृत्यों से जनमानस को अवगत कराया गया। बैठक में जनपदीय अधिकारियों की संख्या अतिन्यून होने के कारण विभागीय कार्यों / योजनाओं की समीक्षा न करते हुए अल्पसंख्यकों हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी। अल्पसंख्यकों हेतु संचालित भारत सरकार एवं राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं, स्वरोजगार योजना ऋण योजना, मुख्यमंत्री हुनर योजना, मेधावी योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, कब्रिस्तान की चाहरदीवारी योजना, अल्पसंख्यक विकास निधि योजना, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास के निर्माण संबंधी योजना, मदरसा आधुनिकीकरण योजना आदि अन्य योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के

क्रमशः पृष्ठ 2 पर.................

व्यक्ति विशेष को उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करना है, तो वह अपने जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर आवेदन करते हुए प्रस्ताव/आवेदन पत्र निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, देहरादून को उपलब्ध करायें।

इसके अतिरिक्त यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के साथ अनावश्यक रूप से कोई उत्पीड़न या अन्य प्रकार से कार्यवाही की जाती है, तो मा0 आयोग उसका संज्ञान लेकर यथोचित कार्यवाही करेगा तथा अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों की हर शिकायत का समाधान मा0 आयोगं स्तर से किया जायेगा।

अन्त में श्री अजयवीर सिंह, उपजिलाधिकारी, श्रीनगर द्वारा मा0 अध्यक्ष महोदय एवं बैठक में उपस्थित समस्त महानुभाव, अधिकारियों व कर्मचारियों का सधन्यवाद करते हुए बैठक में उपस्थित जनमानस को दी गयी जानकारी के अनुसार आवेदन कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किये जाने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात बैठक समाप्त की गयी।

(जे.एस.रावत)
सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।

कार्यालय–उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून

पत्रांक 7/6 /उ0अ0स0/जनपद/समीक्षा बैठक–कार्यवृत्त/2021–22 दिनांक ~~अक्टूबर, 2021~~ 01-11-2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
2. उपजिलाधिकारी, श्रीनगर।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. गार्ड पत्रावली।

सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।